उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–51/2022–23

समली यादव उर्फ श्यामलाल यादव वगैरह

बनाम्

रामवृक्ष राय वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 30/1/24

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शमली यादव उर्फ श्यामलाल यादव वो अम्बा यादव, पे0–स्व0 छेदी यादव वो सुशील यादव वो वकील यादव, पे0–स्व0 सोहन यादव वो वासुदेव यादव, पे0–स्व0 सबरी उर्फ लबली यादव वो गोतम यादव, पे0–स्व0 भैरू यादव, सा0–तुलादास भूस्का, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–08/2020–21 में दिनांक–17.08.2021 के पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–08/2020–21 के आदेश दिनांक–17.08.2021 के द्वारा मौजा–राघोदास भूस्का, जमाबंदी सं0–07 एवं 05 कुल रकवा 34–18–01 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–राघोदास भूस्का, जमाबंदी सं0–07 रकवा 19–03–05 धुर एवं जमाबंदी सं0–05 रकवा 15–14–19 धुर जमीन अपीलकर्त्तागण की पैतृक जमीन है, जो मैकफर्सन सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अपीलकर्त्तागण के पूर्वज के नाम से दर्ज है एवं वे उसपर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार थे। उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन उनके वैध उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हुए एवं वे लोग उक्त जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया एवं अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार है तथा लगान का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सर्वे सेटलमेंट के समय वर्ष 1991–92 में उत्तरवादी के द्वारा उक्त जमीन पर दावा किया गया कि उक्त जमीन उनके दादा को लगान उच्छेदी के मामले से प्राप्त हुआ है। बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा उनके दावा को स्वीकार नहीं किया गया। बल्कि उत्तरवादी को सिविल कोर्ट में जाने के लिए निर्देश दिया। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा सिविल कोर्ट में आवेदन दाखिल नहीं

किया। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने दस्तावेजों की उचित जाँच किये बिना ही अवैध ढंग से अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। जबकि प्रतिकूल प्रभाव से अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर दखल कब्जा है एवं अपीलकर्त्तागण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–राघोदास भूस्का नं0–308, जमाबंदी सं0–05, दाग नं0–28, 29, 38, 46, 54, 55, 58, 63, 33, 70, 71 कुल रकवा 15–12–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत मो0 दखीनहिआ, पति–कंचन राय के नाम से दर्ज है एवं मौजा–राघोदास भूस्का नं0–308, जमाबंदी सं0–07 कुल रकवा 19–03–05 धुर जमीन बेचन राय वो हरि राय वो शेतरू राय वो पैरू राय वो निमानी राय, पे0–सुखू राय के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादीगण गत जमाबंदी रैयत के पोते हैं। उत्तरवादीगण ने अपने पैतृक जमीन का अपसी बँटवारा कर लिया है एवं लगान का भुगतान करते हैं तथा शांतिपूर्ण ढंग से जमीन का जोत आबाद कर रहे थे। लेकिन अपीलकर्त्तागण के द्वारा उत्तरवादीगण को, उक्त जमाबंदी की जमीन से बेदखल कर दिया है। इसलिए उत्तरवादीगण की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में आर0ई0आर0 वाद दायर किया, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमीन संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा मेकफर्सन सर्वे सेटलमेंट पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। लेकिन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–राघोदास भूस्का नं0–308, जमाबंदी सं0–05 कुल रकवा 15–04–19 धुर जमीन जमाबंदी रैयत मु0 दरवीनहीआ जौजे कंचन राय एवं मौजा–राघोदास भूस्का नं0–308, जमाबंदी सं0–07 कुल रकवा 19–03–05 धुर जमीन जमाबंदी रैयत बेचन राय, हाड़ी राय वो चेथरू राय वो पैरू राय वो नेवानी राय, पेशरान शुखू राय कौम घटवाल शा0 देह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण का गत जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। जबकि उत्तरवादीगण गत जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–08/2020–21 के दिनांक–17.08.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 14:28:01 +05:30
Location: 192.168.1.55